Q क्या आप बाहर जाते समय पासपोर्ट तथा निवास कार्ड अपने साथ लेकर जाते हैं ?

A जब आप बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट या निवास कार्ड साथ में ज़रूर ले कर जाएँ। ऐसा जापान का क़ानून है कि, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे पहचान पत्र माँगता है, तो उसे अपना पासपोर्ट या निवास कार्ड मिसेते (दिखाना) अनिवार्य होता हैं। अगर आप अपने वीज़ा में निर्धारित कार्यों के अलावा कोई और कार्य करते हैं अथवा वीज़ा में निर्धारित समय की अवधि से अधिक अवधि के लिए जापान में रुकते हैं तो, आपको क़ानून का उल्लंघन करने के लिए सज़ा मिलेगी। नियमों का पालन कीजिए और जापान में ख़ुशी से रहिए।

Q भूकम्प और आपदा के समय क्या करना चाहिए ?

A टीवी, रेडीओ पर भूकम्प तथा आपदा की सूचना ध्यानपूर्वक सुने। धीरजपूर्ण व्यवहार करें। सुरक्षित स्थान पर जाने की पूरी तैयारी रखें ताकि पुलिस या नगरपालिका का आदेश मिलते ही हिनान / निगेते (सुरक्षित स्थान) पर जा सकें। अगर आप ट्रेन में हैं तो चालक दल के सदस्य के अनुदेश का पालन करते हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जाएँ। बड़ा भूकम्प आने पर कार अथवा बाइक चलाना वर्जित है, इससे सड़क पर होने वाली सम्भावित दुर्घटना को रोका जा सकता है।

सकुशल•सुरक्षित

Q & A

~ आपके सुरक्षित जीवन के लिए ~

ひょうごけんけいさつ

HYOGO PREFECTURE POLICE

हिन्दी

Q अगर कहीं फँस जाएँ तो, कहाँ कॉल करना उचित होगा?

A किसी आपातक़ालीन स्तिथि में निम्नलिखित नंबर पर फ़ोन डायल करें। दुर्घटना होने पर अथवा आपातकालीन स्तिथि में पुलिस को, 110 नंबर पर फ़ोन डायल करें। आग लगने, बीमार होने, अथवा चोट लगने पर फ़ायर ब्रिगेड को, 119 नंबर पर फ़ोन डायल करें।

Q केसात्सु (पुलिस) को कैसे सम्पर्क करें?

A किसी यातायात दुर्घटना या अपराध के समय, कृपया 110 पर तुरंत सम्पर्क करें। अगर आप जापानी भाषा नहीं बोल सकते, तो एक अनुवादक आपकी भाषा का जापानी भाषा में अनुवाद करने मैं मदद करेगा। अगर आपका समान कहीं खो जाए अथवा किसी का खोया हुआ सामान आपको मिले तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। किसी और समस्या अथवा सलाह के लिए पुलिस का ग़ैर आपातकालीन नम्बर #9110 डायल करें।

Q कृपया करके जापान के यातायात के नियम बताइये।

A निम्नलिखित जापान के यातायात के नियम हैं। पैदल चलने वाले सड़क के दाँई तरफ़, साइकिल, कार इत्यादि सड़क के बाईं तरफ़ चलते हैं। पैदल चलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पैदल चलने वाले फुटपाथ पर चलें तथा सड़क पार करने के लिया पैदल पार पथ (ज़ेब्रा क्रॉसिंग) का ही उपयोग करें। साइकिल सड़क के बाईं ओर चलती हैं। साइकिल को साथ में लेकर भागना वर्जित हैं। ट्रैफ़िक सिग्नल का पालन आवश्यक है। शराब पीकर कार या कोई और वाहन चलाना वर्जित है। शराब पीकर साइकिल भी चलाना वर्जित है। कृपया आप यातायात के नियमों का पालन करें ताकि आप सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीक़े से सड़क पार कर सकें।